

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री शम्भु शरण प्रसाद, लखनऊ मंत्रालय, पटना। जब
अधिप्राप्ति-केंद्र बेतिया के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय
आदेशों यथा-ज्ञापांक-के0ले0वी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-वी/1783 दिनांक-14.12.
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 32,11,304.00 की
अवधि निकासी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय नतीक इन्डियन कॉम्प्लेक्स, बिस्कोमान,
बेतिया निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक-2400-203050-73-25-3092 दिनांक-01-2014

प्रतिलिपि:-

1. श्री शम्भु शरण प्रसाद, लखनऊ मंत्रालय, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंप देंगे।
2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन0 डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
6.1.14